उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-135 /ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(98)-2018
लखनऊः: दिनांक 30 जनवरी, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और परिषद की सिफारिशों पर और पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1790/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0अधि-2017-आदेश-(83)-2017, तारीख 24-11-2017 का, उन बातों के सिवाय अधिकमण करके, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया था या किये जाने हेतु निकाल दिया गया था राज्यपाल, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रुप में अधिसूचित करते हैं,जो माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति जो नीचे सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक की गई है, के ब्यौरे को **प्ररुप जीएसटीआर-1** में प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	**तिमाही, जिसके लिए प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं**	**प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि**
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	10 जनवरी, 2018
2.	अक्तूबर-दिसंबर, 2017	15 फरवरी, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	30 अप्रैल, 2018

3. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के मासों के लिए, यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय सीमा के विस्तार को तत्पचात् सरकारी गजट में अधिसूचित किया जाएगा ।

4. यह अधिसूचना तारीख 29 दिसम्बर, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(मो0 मारूफ)
विशेष सचिव